बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
Bihar State Power (Holding) Company Limited
बिहार सरकार का उपक्रम (A Govt. of Bihar Undertaking)
सामान्य प्रशासन विभाग (Department of HR & Administration)
TINVAT No.10011255025 CIN- U40102BR2012SGC018495

कार्यालय आदेश संख्या–2011. ,पटना/ दिनांक 27.10.2018
H-III/App.Compassionate-1003/13

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड के निदेशक मंडल की दिनांक 10/10/2018 को सम्पन्न 64 वीं बैठक में पारित संकल्प संख्या–64–07 के अनुपालन में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड एवं इसकी अनुषंगी कम्पनियों में कार्यरत कर्मियों की सेवाकाल में असमायिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निमित्त प्रक्रिया एवं पद्धति को ज्यादा सरल बनाने हेतु अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित कार्रवाई के लिए निम्न आदेश पारित किया जाता है:–

1– BSPHCL एवं सभी अनुषंगी कंपनियाँ अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सेवारत कर्मी की सेवाकाल में मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों से कर्मी की मृत्यु की तिथि के 30 दिनों के भीतर अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन (यदि आश्रित इसके लिए इच्छुक हों) प्राप्त कर अपने स्तर से जॉच कराकर अपने मंतब्य सहित प्रस्ताव BSPHCL केन्द्रीय अनुकम्पा समिति को आवेदन प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर अग्रसारित करना सुनिश्चित करेगी। केन्द्रीय समिति प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठक आयोजित कर उस अवधि तक में प्राप्त आवेदनों पर विचारण कर अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

2– बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी तथा अनुषंगी कम्पनियों में अराजपत्रित कोटि में निम्न पदो पर अनुकम्पा नियुक्ति किया जायेगा–

क्र0सं0	अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पद	श्रेणी	शैक्षणिक योग्यता
(क)	अकुशल कामगार (Unskilled Worker) (क्षेत्रीय कार्यालय एवं मुख्यालय स्तर पर)	चतुर्थ वर्गीय (गैर–तकनीकी)	न्यूनतम योग्यता– मैट्रिक*
(ख)	(1) पत्राचार लिपिक (सम्प्रति पुनर्नामित कनीय सहायक) (2) भंडार सहायक	तृतीय श्रेणी (गैर–तकनीकी)	किसी भी संकाय से स्नातक होने पर।**
	(3) कनीय लेखा लिपिक (सम्प्रति पुनर्नामित कनीय लेखा सहायक)	तृतीय श्रेणी (गैर–तकनीकी)	वाणिज्य संकाय से स्नातक होने पर।**
(ग)	बटन–पट–चालक ग्रेड–2, कनीय सारणी पुरूष एवं तकनीकी कोटि–IV (प्रवेश स्तरीय पद)	तृतीय श्रेणी (तकनीकी)	मैट्रिक के साथ आई0टी0आई0।**

* महादलित कर्मी के आश्रित के लिए न्यूनतम् शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अनिवार्य नही होगा। परन्तु उन्हे अनुकम्पा नियुक्ति के उपरांत दो वर्षो के अंदर साक्षर (पढने लिखने का ज्ञान ताकि वे अपना हस्ताक्षर कर सके और संचिकाओं को पढ सके) होना अनिवार्य होगा।

** वर्ग तीन के पद पर नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष के अन्दर CCC [NIELIT (DOEACC)] कम्प्युटर कोर्स उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में वार्षिक वेतन वृद्धि बाधित रहेगी।

3– मृत सेवक के आश्रित का अनुकम्पा नियुक्ति के समय मैट्रिक के साथ आई0टी0आई0 योग्यताधारी रहने पर योग्यता अनुरूप आपूर्ति एवं संचरण संगठन में तकनीकी वर्ग–III के निम्नांकित प्रवेशस्तरीय पद पर भी अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चिन्हित किया जायेगाः–

(क) आपूर्ति संगठन में – बटन–पट–चालक ग्रेड–2, कनीय सारणी पुरूष

(ख) संचरण संवर्ग में – तकनीकी कोटि–IV (प्रवेश स्तरीय पद)

4– इस निमित्त आपूर्ति संगठन तथा संचरण संगठन में अनुमान्य बटन–पट–चालक ग्रेड–2, कनीय सारणी पुरूष तथा तकनीकी कोटि–IV के स्वीकृत कुल पद का 25% पद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित रहेगा। कनीय लेखा लिपिक (सम्प्रति पुर्ननामित कनीय लेखा सहायक)/ पत्राचार लिपिक (सम्प्रति पुर्ननामित कनीय सहायक)/भंडार सहायक के पद पर स्वीकृत कुल पद का 20% पद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित किया जाता है।

5– सभी कंपनियों के मुख्यालय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर के संवर्गो में अनुकंपा नियुक्ति का कार्य केन्द्रीकृत रूप में BSPHCL के स्तर पर निष्पादित किया जाएगा एवं बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड स्तर पर ही होल्डिंग कम्पनी तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों में सभी संवर्गों के मृत सेवक के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति पर विचारण हेतु निम्नरूपेण केन्द्रीय अनुकम्पा नियुक्ति समिति का गठन किया जाता हैः–

(i)	महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०), BSPHCL	–	अध्यक्ष
(ii)	महाप्रबंधक (वित एवं लेखा), BSPHCL / उपमहाप्रबंधक (वित एवं लेखा), BSPHCL	–	सदस्य
(iii)	संबंधित कम्पनियों के महाप्रबंधक (मा०सं० / प्रशा०)	–	सदस्य
(iv)	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि (मनोयन के आधार पर जो कार्यपालक अभियन्ता स्तर से अन्यून स्तर के पदाधिकारी होगें)	–	सदस्य
(v)	BSPHCL के उ0म0प्र0 (कार्मिक) अथवा उ0म0प्र0 (मा0सं0 / प्रशा0) / अवर सचिव / उप सचिव, जो कामगार स्थापना के प्रभारी हों।	–	सदस्य सचिव
(vi)	समिति को सचिवालीय सहयोग प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–III, BSPHCL प्रदान करेंगे।		

6– सभी अनुषंगी कंपनी के स्तर पर उनके महाप्रबन्धक (मा0सं0 / प्रशा0) के द्वारा अपने अधीनस्थ किसी उप महाप्रबंधक / उप सचिव अथवा अवर सचिव को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रभारी नामित करते हुए उनके अधीन किसी एक प्रशाखा को इस कार्य के लिए उत्तरदायी बनाया जायेगा। यह प्रशाखा अनुकंपा नियुक्ति के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर से प्राप्त आवेदनों एवं प्रमाण पत्रों आदि की जॉच कर अपने मंतव्य के साथ प्रस्ताव गठित कर ब्रॉडशीट को BSPHCL केन्द्रीय समिति को विचारार्थ अग्रसारित करेगा। प्रस्ताव के साथ हीं तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों की उपलब्ध रिक्तियों का विवरण भी प्रेषित करेगा।

7– आवेदक के द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन मृत कामगार के कार्यालय में सभी आवश्यक कागजात के साथ प्राप्त की जायेगी। उक्त कार्यालय द्वारा कागजात/ दस्तावेज की जॉच पूरी कर संबंधित कंपनी के महाप्रबंधक (मा0सं0 / प्रशा0) अथवा अनुकम्पा नियुक्ति प्रभारी को आवेदन प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर अग्रसारित कर दिया जायेगा। अनुकम्पा नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन की जॉच / समीक्षा संबंधित कंपनी की अनुकंपा नियुक्ति शाखा के द्वारा की जाएेगी एवं महाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन) के अनुशंसा के साथ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को अग्रसारित किया जायेगा। होल्डिंग कंपनी की नियुक्ति शाखा (प्रशाखा–III)